बिहार सरकार
भवन निर्माण विभग

का0आ0सं0-भवन/स्था-04-कार्यभारित-04/2014 ......321....../ पटना दिनांक:-...15/12/17.../

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-10710 दिनांक-17.10.2013 एवं संकल्प सं0-6151(वि0) दिनांक-03.08.2016 के आलोक में विभाग के अन्तर्गत कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कार्यभारित कर्मियों को नियमितिकरण करने संबंधी मामले के निष्पादन हेतु गठित विभागीय समिति की दिनांक-27.11.2017 को हुई बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में दिनांक-11.12.1990 को अथवा उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त निम्नांकित 7(सात) कार्यभारित कर्मी, जो वित्त विभागीय संकल्प सं0-10710 दिनांक-17.10.2013 की सभी शर्त्तो को पुरा करते हैं अथवा वित्त विभागीय संकल्प निर्गत की तिथि (17.10.2013) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं0-49 सहपठित ज्ञापांक-2039 दिनांक-20.02.2014 निर्गत की तिथि के बीच की अवधि में सेवानिवृत/मृत हुए है और जिनके विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं है, प्रथम द्रष्टया प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लंबित नहीं है तथा विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है, को उनके नाम के सामने के कॉलम-8 में अंकित तिथि से उनके धारित पद को नियमित स्थापना में समपरिवर्तित किया जाता है:-

क्र.स.	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति की तिथि	सेवानिवृति/ मृत्यु की तिथि	अंचल कार्यालय का नाम	प्रमण्डल का नाम	नियमित स्थापना में सेवा सम्परिवर्तन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री गोपीदास जीप चालक	05.03.1958	19.05.1977	31.05.2018	भवन अंचल, भागलपुर।	भवन प्रमण्डल, भागलपुर	20.02.14	
2	स्व. राम स्वरूप सिंह चौकिदार	02.04.1958	02.08.1985	22.10.2013 को मृत	भवन अंचल, दरभंगा।	भवन प्रमण्डल, दरभंगा।	22.10.13	
3	श्री शम्भू शरण झा विजली मिस्त्री ग्रेड-3	31.10.1953	09.12.1985	31.10.2013	भवन अंचल, दरभंगा।	भवन प्रमण्डल, मधुबनी।	31.10.13	
4	श्री ब्रजमोहन सिंह चौकिदार	12.07.1957	09.05.1982	31.07.2017	दक्षिण बिहार अंचल, पटना।	पाटलीपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना।	04.02.2017	अधी0 अभि0 द0बि0 अं0 पटना के ज्ञापांक-1399 दि0-04.02.17 द्वारा आरोप मुक्त
5	मो0 इरशाद अहमद जीप चालक	01.02.1954	01.02.1983	31.01.2014	दक्षिण बिहार अंचल, पटना।	पटना सिटी, भवन प्रमण्डल, पटना।	20.02.14	

6	श्री रामचन्द्र भक्त वर्क सरकार	01.02.1954	01.11.1982	31.01.2014	भवन अंचल, सहरसा।	भवन प्रमण्डल, सहरसा।	31.01.2014	
7	श्री श्याम नारायण सिंह अमीन	01.01.1954	10.06.1985	31.12.2013	भवन अंचल, सहरसा।	भवन प्रमण्डल, सहरसा।	31.12.13	

2. वित्त विभाग के संकल्प सं0-10710 दिनांक-17.10.2013 की कंडिका 4(vi) के अनुसार कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित उक्त पदों को संबंधित संवर्गीय बल निर्धारण के निमित सृजित पद नहीं माना जायेगा और संबंधित कर्मी के सेवानिवृति के बाद अथवा सेवाकाल में मृत्यु होने पर वे पद स्वत: समाप्त हो जायेगे।

3. वित्त विभाग के संकल्प की कंडिका 5 के अनुसार नियमित सेवा में आने के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं अनुमान्य होगी।

(i) जिन कार्यभारित कर्मियों (कार्यरत) का पूर्व से सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ मिल रहा हैं, उनके भविष्य निधि खाता में जमा पूरी राशि सूद के साथ निकासी कर कार्यपालक अभियंता द्वारा भविष्य निधि निदेशालय में नया जी.पी.एफ. खाता खुलवाकर जमा करा दी जायेगी। नया खाता खोलने हेतु प्रस्ताव संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय, पटना पंत भवन को भेजा जाना होगा।

(ii) नियमित सेवा में आने के बाद की सेवा अवधि में ये उपार्जित अवकाश अर्जित कर सकेंगे तथा सेवानिवृत के बाद जमा उपार्जित अवकाश के बदले नकदीकरण की सुविधा प्राप्त होगी।

(iii) नियमित सेवा में आने के बाद ये संवर्ग में पूर्व से नियुक्त नियमित कर्मियों से कनीय होंगे और नियमित सेवा में आने के बाद की सेवा की गणना नियमित प्रोन्नति के लिए की जायेगी।

(iv) रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन (MACPS) का लाभ दिये जाने के उद्देश्य से इनकी कार्यभारित अवधि की सेवा की गणना की जायेगी। अगर कार्यभारित अवधि में ही इन्हें एक से दूसरे कार्यभारित पद पर नियुक्ति की गयी हो और उसका वेतनमान उच्चतर हो और उसी पद पर नियमित सेवा में लिये जाने का प्रस्ताव हो तो इस प्रकार कार्यभारित सेवावधि में वेतन उन्नयन को एक वित्तीय उन्नयन माना जायेगा। रूपांतरित सुनिश्चितवृति उन्नयन का आर्थिक लाभ नियमितिकरण/सम्परिवर्तन की तिथि से भुगतेय होगा।

(v) इन कर्मियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। प्रत्येक पाँच वर्षो की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभ की गणना की जायेगी। इसके बावजूद यदि पुरानी पेंशन योजना के तहत् पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा 10 वर्ष पूर्ण नहीं हो तो उस हद तक न्यूनतम सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

(vi) नियमित सेवा में आने के बाद सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा के आधार पर आश्रित को नियुक्ति का लाभ संगत नियमों के तहत देय होगा।

4. इन कार्यभारित पदों को संलग्न सूची के कॉलम-8 में अंकित तिथि से उसी वेतनमान में जिस वेतनमान में उक्त कार्यभारित कर्मचारी कार्यरत है, पद को नियमित किया जाता है।

5. इन संपरिवर्तन के फलस्वरूप कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर होने वाले व्यय का संधारण नियमित स्थापना से संबंधित बजट शीर्ष में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

6. इन कार्यभारित पदों के नियमित स्थापना में संपरिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यभारित पद नियमित स्थापना में संपरिवर्तन होने की तिथि से विलोपित हो जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यभारित स्थापना में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

7. कार्यभारित कर्मियों का स्थानांतरण/पदस्थापन/पदोन्नति के संदर्भ में विभाग का अनुमोदन अपेक्षित होगी।

8. संबधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता इस आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह में समर्पित करेंगे।

9. इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

15/12/17
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 11320 (म) पटना, दिनांक:- 15/12/17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सहायक कोषागार पदाधिकारी को ~~अनुलग्नक सहित~~ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/17
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 11320 (म) पटना, दिनांक:- 15/12/17

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/17
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 11320 (म) पटना, दिनांक:- 15/12/17

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/17
सरकार के अवर सचिव।

15.12.17